न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 280/2016 **दायरा दिनांक : 10.08.2016**

उनवान

मांगी लाल आयु 65 साल पुत्र श्री गिरधारी, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– सचिव, ग्राम पंचायत निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

2– विकास अधिकार पंचायत समिति छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

3– राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कृष्ण गोपाल भार्गव एवं श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 6/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि वादी के तन्हा खाते एवं कब्जे की आराजी खाता संख्या 503 की खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम निपानिया, तहसील छबडा में स्थित है । इससे लगवा वादी के परिवार के सदस्य की आराजियात खसरा नम्बर 179 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 4 बिस्वा है । खसरा नम्बर 189 पर वादी काबिज काश्त है और वादी अपने परिवार के सदस्यों की आराजी खसरा नम्बर 179 और 178 पर भी काबिज है । खसरा नम्बर 178, 179 , 189 के पूर्व में आम रास्ता है और पश्चिम में छबडा से कुम्भराज रोड़ स्थित है । तत्कालीन सरपंच वादी से राजनीति रंजिशवश प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 के माध्यम से आराजी खसरा नम्बर 189, 178, 179 की पूर्वी मेड के सहारे उक्त भूमि और भूमि से लगवा आम रास्ते की भूमि में सरकारी गोदाम का निर्माण कर रास्ते को बन्द करना चाहते हैं । इन भूमियों के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 233 आबादी की भूमि खाली पडी है उससे लगवा पहाडी की चारागाह भूमि है जिस पर गोदाम का निर्माण किया जा सकता है । यदि प्रतिवादीगण अपने कृत्य में सफल हो गये तो वादी अपने परिवार का भरणपोषण नहीं कर सकेगा और रास्ते के सुखाधिकार से वंचित हो जाएगा । अतः वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि ग्राम निपानिया की आराजी खसरा नम्बर 189, 178, 179 की पश्चिम मेड एवं उससे लगवा रास्ते

की भूमि में किसी प्रकार के गोदाम का निर्माण कार्य नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.06.2016 को कोर्ट कैम्प में दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी से कोई जवाब लिये बिना राजस्व कैंम्प में सरसरी तौर पर दावा खारिज किया हे । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.07.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश होने के उारान्त जवाबदावे में लम्बित था और राजस्व कैम्प में बिना सी पी सी की पालना के निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट ने कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । वादी कैम्प में उपस्थित नहीं था फिर भी निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादी का दावा तथ्यहीन है । रेस्पोडेंट अपीलांट की आराजी में कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं । जनहित में स्कूल और गोदाम बना रहे हैं । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थन्यायालय में दावे एवं जवाबदावे में लम्बित था और इसको दिनांक 14.06.2016 को कैम्प कोर्ट में रखा गया दिनांक 14.06. 2016 के कैम्प कोर्ट में वादी उपस्थित नहीं था । प्रतिवादी की ओर से सचिव ग्राम पंचायत उपस्थित थे । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया था और उसी दिन कैम्प में दावा खारिज किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण हो सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है, तो वे विधिक प्रावधानों की पालना आवश्यक होती है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ

न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.02.2018 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा